राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5659 / 2022

विमल कुमार गर्ग (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएएल199302009199)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय राहड़, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अपील में अभिकथन किया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–1) में विशाल कुमार गर्ग नाम दर्शाते हुए स्थानांतरण भू.अ.नि. तह. नारायणपुर जिला अलवर से तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा किया जाना अंकित किया है, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का नाम विशाल कुमार गर्ग ना होकर विमल कुमार गर्ग है। इस प्रकार आदेश बिना मस्तिष्क के प्रयोग के पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि जिस स्थान पर स्थानांतरण किया गया है, उसमें पटवार सर्किल अंकित नहीं किया गया है, केवल तहसील दर्शाई गई है, जो उचित नहीं है। इस प्रकार स्थानांतरण इस आधार पर भी गलत है।
3. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। आक्षेपित आदेश अनुलग्नक–1 में अपीलार्थी का नाम विमल कुमार गर्ग के स्थान पर विशाल कुमार गर्ग अवश्य अंकित है, परंतु अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान सही है, जिसके आधार पर अपीलार्थी के

संबंध में अपीलार्थी की पहचान किया जाना संभव है। यह भी प्रकट होता है कि केवल त्रुटिवश गलत नाम अंकित किया गया है और केवल इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश स्थगित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का दूसरा तर्क यह रहा है कि नवीन पदस्थापन स्थान पर केवल तह. करेड़ा, जिला भीलवाड़ा अंकित है और पटवार मंडल अंकित नहीं है। हमारे मत में केवलमात्र तह. करेड़ा अंकित करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तह. करेड़ा में ही पदस्थापित किया जायेगा। तहसील करेड़ा में पदस्थापित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी है। ऐसे में आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
5. आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)